दिल्ली जल बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र:दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 21 मई, 1999 को प्रातः 10 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सभाकक्ष, वरूणालय फेस-II, करोलबाग, नई दिल्ली-110 005 में हुई 21वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, दिल्ली.	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार, विधायक.	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रदीप मेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
4.	श्री ब्रह्म सिंह तंवर, विधायक	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
5.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
6.	श्री आर.सी.वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
7.	श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी बोर्ड	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
8.	श्रीमती सुमन स्वरूप, प्रधान सचिव (शहरी विकास)	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
9.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
10.	श्री एस.सी.एस. गोपालकृष्णन, सदस्य (वित्त)	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड

कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 7.5.99 को सम्पन्न दिल्ली जल बोर्ड की पिछली (20 वीं) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गयी ।

संकल्प संख्या 232

मद संख्या 236 — श्री ए.के. कुमार की दिल्ली जल बोर्ड में अधीक्षण अभियंता (वि.एवं या.) के पद पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति को जारी रखना ।

निदेशक (प्रशा0 एवं का0) के पत्र क्रमांक दि.ज.बो./प्रशा./99/93 दिनांक 17.5.99 में उल्लिखित श्री ए.के.कुमार की दिल्ली जल बोर्ड में अधीक्षण अभियंता (वि.एव.या.) के पद पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति को जारी रखने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया और संकल्प लिया कि इसे दिनांक 9.2.99 से एक और वर्ष के लिए अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस पद पर नियमित नियुक्ति किए जाने तक अथवा अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 233

मद संख्या 237 — दिल्ली जल बोर्ड में रू010,000-15,200 के ग्रेड में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति -विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 5.4.99 को हुई ।

निदेशक(प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक दि0ज0बो0/प्रशा0/99/91 दिनांक 6.5.99 में उल्लिखित संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 5.4.99 को सम्पन्न हुई विभागीय पदोन्नति

कृ0प0उ0......

समिति की बैठक के कार्यवृत्त में वर्णित 21 अधिकारियों को रू010,000-15,200 के वेतनमान + समान्य भत्तों में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर तुरन्त प्रभावी तिथि से पदोन्नत किए जाने के मामले को स्वीकार किए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया और संकल्प लिया कि इसे स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

<u>संकल्प संख्या 234</u> दिल्ली जल बोर्ड में श्री के.सी.जैन की मुख्य अभियंता (वि.एवं.या.) के पद
मद संख्या 238 पर तदर्थ नियुक्ति को जारी रखना ।

निदेशक (प्रशा0 एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक दि0ज0बो0/प्रशा0/99/92, दिनांक 6.5.99 में उल्लिखित श्री के0 सी0 जैन की दिल्ली जल बोर्ड में मुख्य अभियंता (वि0 एवं यां0) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को आगे जारी रखने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया और संकल्प लिया कि तदर्थ पदोन्नति को दिनांक 1.4.99 से और 6 माह के लिए अथवा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति किए जाने तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

आगे यह भी संकल्प लिया कि उनकी तदर्थ पदोन्नति को और आगे जारी रखने के मामले को उनकी पूर्ण वार्षिक चारित्रिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।

<u>संकल्प संख्या 235</u> प्रीत विहार सीवेज पम्पिंग स्टेशन के सामने विकास मार्ग पर 1000
मद संख्या 239 मि.मी. व्यास की धँसी हुई सीवर लाईन का पुर्नरूद्धार ।

मुख्य अभियंता (सिविल) प्रथम के पत्र क्रमांक दि0ज0बो0/त0स0/99/145 दिनांक 6.5.99 में उल्लिखित उपरोक्त कार्य के लिए रू045,23,498.50 की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति और इस कार्य को दिल्ली दर अनुसूची 1993 से 39% अधिक दर पर रू026,28,070.22 की कुल लागत पर मै0 बाबू राम एण्ड कम्पनी को आबंटित किए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया और विस्तृत विचार विमर्श के बाद संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

चर्चा के दौरान श्री सुरेन्द्र कुमार, उपाध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया कि पिछली पद्धति के अनुसार पाइप, स्टील और सीमेंट आदि सामग्री विभाग द्वारा खरीदी जाए और कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को जारी की जाए। उनका मत था कि वर्तमान व्यवस्था के अंर्तगत इन वस्तुओं की ठेकेदारों द्वारा स्वयं खरीद करने से कार्यदक्षता में सुधार नहीं हुआ है और इससे कार्य निष्पादन में और देरी और जटिलताएँ उत्पन्न हो रही हैं । श्रीमती सुमन स्वरूप, प्रधान सचिव (शहरी विकास), पदेन-सदस्य ने सुझाव दिया कि वर्तमान पद्धति की कार्य प्रणाली का वस्तुनिष्ठ आकंलन करना इस अवस्था में शीघ्रता में उठाया गया कदम होगा, अत: इस विषय की समीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिए कि कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध रूप से कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए, निविदा की शर्तें और अधिक कठोर होनी चाहिए।

गारंटी की अवधि बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। उन्होने ठेकेदारों का भुगतान शीघ्रता से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। श्रीमती सुमन स्वरूप ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार द्वारा संस्थागत परिवर्तन करके अवजल निकासी के कार्य को विभिन्न ऐजेंसियों द्वारा कराए जाने की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके दिल्ली में अवजल निकासी के सम्पूर्ण विषय को एक एजेन्सी अर्थात दिल्ली जल बोर्ड को सौंप दिया जाना चाहिए।

संकल्प संख्या 236

मद संख्या 240 — मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के अधीनस्थ माह अप्रैल 1998 में रू01.00 लाख से रू0 25.00 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची।

संकल्प लिया कि मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के पत्र क्रमांक दि.ज.बो./तक./99/147 दिनांक 11.5.99 द्वारा माह अप्रैल, 1998 के अनुबंधो की सूची के सम्बन्ध में दी गई सूचना को रिकार्ड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संकल्प संख्या 237

मद संख्या 241 — मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के अधीनस्थ माह मई, 1998 में रू01.00 लाख से रू0 25.00 लाख तक के कार्यो की अनुबंध सूची।

संकल्प लिया कि मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के पत्र क्रमांक दि.ज.बो./ तक./99/148 दिनांक 11.5.99 द्वारा माह मई, 1998 के अनुबंधो की सूची के सम्बन्ध में दी गई सूचना को रिकार्ड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संकल्प संख्या 238

मद संख्या 242 — मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के अधीनस्थ माह जून, 1998 में रू01.00 लाख से रू0 25.00 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची।

संकल्प लिया कि मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के पत्र क्रमांक दि.ज.बो./तक./99/149 दिनांक 11.5.99 द्वारा माह जून, 1998 के अनुबंधो की सूची के सम्बध में दी गई सूचना को रिकार्ड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संकल्प संख्या 239

मद संख्या 243 — मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के अधीनस्थ माह जुलाई, 1998 में रू0 1.00 लाख से रू0 25.00 लाख तक के कार्यो की अनुबन्ध सूची।

संकल्प लिया कि मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्ल्यू) के पत्र क्रमांक दि.ज.बो./तक./99/150 दिनांक 11.5.99 द्वारा माह जुलाई, 1998 के अनुबंधों की सूची के सम्बन्ध में दी गई सूचना को रिकार्ड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि सभी अन्य मुख्य अभियंता बोर्ड की अगली बैठकों में मार्च, 1999 तक की 1 लाख से 25 लाख तक के बीच के अनुबंधो का विवरण प्रस्तुत करें।

कृ0प0उ0.......

मद संख्या 244 नन्द नगरी पुर्नवास कालोनी, शाहदरा में आंतरिक मल निकासी व्यवस्था के छूटे हुए अंतरालों की व्यवस्था करना/बिछाना ।

इस मद पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करने के पश्चात बोर्ड ने इस विषय से सम्बंधित पूर्ण जानकारी चाही और इस मद पर अपने निर्णय को स्थगित रखा। बोर्ड ने आभास किया कि नन्द नगरी पुर्नवास कालोनी, शाहदरा की सम्पूर्ण मल निकासी प्रक्रिया (सीवरेज सिस्टम) का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि सभी छूटे हुए अन्तरालों का पता लगाया जा सके, तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन करने के पश्चात् इस मामले को बोर्ड के सम्मुख रखा जाए, जिससे और छूटे हुए अन्तरालो, जिनका पता न लगा हो, के कारण मल-निकासी प्रक्रिया के पूर्ण रूप से चालू न होने की सम्भावना को रोका जा सके । अध्यक्ष महोदया ने सुझाव दिया कि सीवर लाइनों के विस्तृत रेखांकन (मैपिंग) का कार्य किया जाना चाहिए। प्रधान सचिव (शहरी विकास) ने बताया कि नागरिक सेवाओं के रेखांकन का कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

संकल्प संख्या 240 सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियम ।
मद संख्या 245

बोर्ड ने निदेशक (प्रशा० एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक दि०ज०बो०/प्रशा०/99/94, दिनांक 18.5.99 में उल्लिखित प्रस्ताव के संलग्नक-I। के अनुसार भर्ती के नियम बनाने पर विचार किया और संकल्प लिया कि उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 241 दिल्ली जल बोर्ड में प्रशासनिक अधिकारी/क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी
मद संख्या 246 के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन ।

बोर्ड ने निदेशक (प्रशा० एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक दि०ज०बो०/प्रशा०/99/95, दिनांक 18.5.99 में उल्लिखित प्रस्ताव के संलग्नक-II। के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड में प्रशासनिक अधिकारी/क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया। चर्चा के दौरान सदस्य (प्रशासन) ने बोर्ड के सम्मुख कार्यालय अधीक्षक/वरिष्ठ आशुलिपिक आदि का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और 25% नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा और 75% नियुक्ति पदोन्नति द्वारा किए जाने के प्रस्ताव के आधार की जानकारी दी। उन्होने बताया कि दिल्ली नगर निगम में इस ग्रेड के 99 पदों के विरूद्ध पोषक ग्रेड (फीडर ग्रेड) में पदों की संख्या 186 है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड में प्रशासनिक अधिकारी/क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी के 44 पदों के विरूद्ध पोषक ग्रेड में पदों की संख्या 58 है, अतः पोषक ग्रेड (फीडर ग्रेड) में पदों की संख्या कम होने के कारण संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के अनुसार इन पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्ति पदोन्नति द्वारा किया जाना उपयुक्त नहीं होगा। प्रस्तावित व्यवस्था से फीड़र ग्रेड के पदधारियों के पदोन्नति के हितों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध रहेगी ।

बोर्ड ने संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है ।

संकल्प संख्या 242 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 30 पदों का सहायक अभियंता (सिविल)
मद संख्या 247 के पद पर उच्चीकरण ।

बोर्ड ने निदेशक (प्रशा० एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक दि०ज०बो०/प्रशा०/99/96 दिनांक 18.5.99 में उल्लिखित रू05000-8000/ 5500-9000/ 6500-10500 के वेतनमान में

कृ0प0उ0.......

कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 30 पदों का रू0 6500-10,500 के वेतनमान में सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर तुरन्त प्रभावी तिथि से उर्ध्वीकरण किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया और संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है ।

संकल्प संख्या 243 — भैरों मार्ग पर 2000 मि.मी. व्यास के रिंग रोड़ ट्रंक सीवर
मद संख्या 248 — में धंसे हुए भाग की खुदाई रहित तकनीक द्वारा पुर्नस्थापना।

मुख्य अभियंता (सिविल)।। के पत्र क्रमांक दि0ज0बो0/त0/99/152, दिनांक 20.5.99 में उल्लिखित कार्य के लिए रू0 150.488 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति और उक्त कार्य को रू0 119.36 लाख की कुल लागत पर मै0 सैमकान बिल्डर्स प्रा0 लि0 को आबंटित किए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया और संकल्प लिया कि इसे स्वीकृति दी जाती है ।

"अन्य कोई विषय अध्यक्ष की अनुमति से" के अन्तर्गत निम्न मदों पर चर्चा हुई।

1. श्री ब्रह्म सिंह तंवर, सदस्य ने जानना चाहा कि महरोली में भूमिगत जलाशय, जिसके निर्माण का कार्य आदेश डेढ़ वर्ष पहले दे दिया गया था, का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जाएगा। प्रमुख अभियंता से इस सम्बन्ध में सूचना यथाशीघ्र एकत्रित करने और सदस्य महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए कहा गया ।

2. श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, ने दिल्ली जल बोर्ड में वाहनों की संख्या और अधिकारियों को इन वाहनों का आवंटन तथा आवंटन के मानदण्ड की जानकारी दिए जाने के अपने पिछले अनुरोध को दोहराया । सदस्य (प्रशासन) से वांछित सूचना प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया ।

3. श्री आर0 सी0 वर्मा, सदस्य ने कितसपुरी क्षेत्र में चार ट्यूबवैल जो बिजली का कनैक्शन स्वीकृत न किए जाने के कारण चालू नही किए गए हैं, को चालू कराने के लिए एक बार पुनः अनुरोध किया। मुख्य अभियंता (सिविल) प्रथम को इस मामले को देखने और सदस्य को नवीनतम स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए ।

4. श्रीमती रोशनी बंसल और कुछ अन्य सदस्यों ने बैठक की कार्यवाही की सूची के वितरण में विलम्ब पर चिन्ता प्रकट की। अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिया कि बैठक की कार्यवाही की सूची सदस्यों के पास बैठक से कम से कम तीन दिन पूर्व पहुँच जानी चाहिए ।

सचिव
दिल्ली जल बोर्ड

अध्यक्ष
दिल्ली जल बोर्ड